कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य. / खेलकूद–3 / 35101 / वा.प. / 2022–23 / दिनांक : 21/09/22

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा विभाग।

विषय : सत्र 2022–23 में आयोज्य 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के स्थल निर्धारण कर सूचना भिजवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2022–23 में आयोज्य 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए जिन खेलों के आयोजन स्थलों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है उन खेलों के आयोजन स्थलों हेतु निदेशक महोदय के निर्देशानुसार निम्नांकित तालिका के अनुरूप मण्डलवार दायित्व सौंपा जाता है :–

क्र. सं.	खेल का नाम	आयु	वर्ग	आयोजन हेतु प्रस्तावित मण्डल
1	हॉकी	17	छात्र	अजमेर मण्डल में आवंटन हेतु
2	हॉकी	17	छात्रा	कोटा मण्डल में आवंटन हेतु
3	हॉकी	19	छात्रा	भरतपुर मण्डल में आंवटन हेतु
4	सॉफ्टवॉल	17 / 19	छात्रा	कोटा मण्डल में आवंटन हेतु
5	फुटवाल	19	छात्र	जयपुर मण्डल में आंवटन हेतु
6	फुटवाल	17	छात्रा	पाली मण्डल में आवंटन हेतु
7	फुटवाल	19	छात्रा	पाली मण्डल में आवंटन हेतु
8	हैण्डवाल	17 / 19	छात्र	भरतपुर मण्डल में आंवटन हेतु
9	वास्केटवाल	17 / 19	छात्र	जोधपुर मण्डल में आंवटन हेतु
10	एथलेटिक्स	17 / 19	छात्र	जयपुर मण्डल में आंवटन हेतु
11	तैराकी	17 / 19	छात्र–छात्रा	अजमेर मण्डल में आवंटन हेतु
12	जिम्नास्टिक	17 / 19	छात्र–छात्रा	उदयपुर मण्डल में आंवटन हेतु
13	कुश्ती	17 / 19	छात्र–छात्रा	जोधपुर मण्डल में आंवटन हेतु
14	तीरंदाजी	17 / 19	छात्र–छात्रा	उदयपुर मण्डल में आंवटन हेतु

उक्त प्रतियोगिताओं के आपके मण्डल में आयोजन हेतु संलग्न प्रपत्र के विन्दुओं के अनुसारविद्यालयों के सहमति पत्र सहित प्रस्ताव (आपके मण्डल में पूर्व में प्रस्तावित विद्यालयों के अतिरिक्त) इस कार्यालय की मेल आईडी sec.sportsbkn@yahoo.com पर दिनांक : 24.09.2022 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : प्रतियोगिता आयोजन स्थल निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश।

(अरविन्द कुमार व्यास)
उपनिदेशक (खेलकूद),
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान,
वीकानेर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर।
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (खेलकूद),
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान,
वीकानेर।

Rajasthan Education Department

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन स्थल निर्धारण हेतु दि ा–निर्दे ा:–

1 इस कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इच्छुक संस्था प्रधानों के प्रस्ताव एवं संबंद्ध जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक की अभिशंषा सहित प्राप्त होने पर, प्राप्त प्रस्तावों में से उपयुक्त विद्यालय का चयन कर संबंद्ध खेल की प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व उन्हें सौंपा जाना है।

2 प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व बार–बार एक ही विद्यालय को न सौंप कर अन्य विद्यालयों को भी दायित्व सौंपकर राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन का अवसर प्रदान किया जावें । यथा सम्भव भिन्न–भिन्न जिलों को अवसर दिया जावें।

3 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व सौंपने से पूर्व संस्था प्रधान की लिखित सहमति ली जानी आवश्यक है ।

4 प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व सौंपे जाते समय विद्यालय के पास अथवा मुख्यालय पर सम्बद्ध खेल मैदान, खेल उपकरण एवं अन्य जिलों से सड़क अथवा रेल मार्ग से सीधा सम्पर्क हो इसका भी ध्यान रखा जावें ।

5 संबंधित खेलों हेतु एरिना, शूटिंग रेंज, इन्डोर हॉल एवं बॉक्सिंग रिंग इत्यादि के लिए आयोजक विद्यालय के मुख्यालय पर आवश्यक हॉल की व्यवस्था एवं तैराकी प्रतियोगिता के लिए मानदण्डानुसार तरणताल की उपलब्धता, जिसमें इन खेलों का आयोजन हो सके आवश्यक रूप से होने चाहिए ।

6 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता केवल छात्रा विद्यालयों को ही आवंटित की जावें। सह शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में छात्रा संख्या की पर्याप्तता, साथ ही छात्राओं हेतु आवास, शौचालय, स्नानघर, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के भौतिक अवलोकन पश्चात ही छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व सह शिक्षा के आधार पर विद्यालय को सौंपा जा सकता है।

7 छात्र व छात्रा वर्ग की कोई भी प्रतियोगिता यदि एक साथ हो तो वह छात्र विद्यालय अथवा छात्रा विद्यालय किसी भी को भी आवंटित की जा सकती है ।

8 जहाँ तक सम्भव हो प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व उसी विद्यालय को सौंपा जावे जिनके पास खेल मैदान व कार्मिकों / खिलाड़ियों के आवास स्थल विद्यालय के नजदीक हों ।

9 कार्मिकों एवं खिलाड़ियों के लिए आवास, पानी–बिजली, शौचालय एवं पुलिस सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था हो ।

10 छात्रा खिलाड़ियों की सुरक्षा, शौचालय, स्नानगृह आदि की अलग से समुचित व्यवस्था हो ।

11 प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय का संस्था प्रधान ही संयुक्त संचालन सचिव का दायित्व वहन करेगा ।

12 प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान का नाम, मोबाईल नंबर, विद्यालय का दूरभाष नम्बर, तथा ई–मेल पता (जिस पर पत्राचार किया जा सके) साथ ही संबंधित शारीरिक शिक्षक का नाम व मोबाईल नम्बर भी लिखें ।

13 प्रतियोगिता स्थल के निर्धारण के समय यह ध्यान रखा जावे कि विद्यालय छात्रकोष में पर्याप्त धन राशि हो जिससे कि निदेशालय, बीकानेर द्वारा आवंटित राशि पहुँचने तक अग्रिम आवश्यक कार्यवाही / तैयारी की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सके ।

उप निदेशक (खेलकूद),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

Rajasthan Education Department